बिहार सरकार

उद्योग विभाग

उद्योग विभाग

वित्तीय वर्ष 2021–22 बजट माँग सं.: 23

सैयद शाहनवाज़ हुसैन

माननीय मंत्री, उद्योग विभाग
बिहार सरकार

वक्तव्य

05 मार्च, 2021

माननीय उद्योग मंत्री का बजट अभिभाषण 2021

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उद्योग विभाग का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

राज्य सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक स्तर पर निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य का हर युवा उद्यमी बने, सरकार का यह प्रयास है। बिहार में विपुल मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का उचित उपयोग कर राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू की गई है। निवेश हेतु प्राप्त प्रस्तावों के अनुश्रवण एवं एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस देने एवं विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय का गठन किया गया है। इस नीति में राज्य एवं राज्य के बाहर से पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, लघु यंत्र विनिर्माण, चर्म उद्योग, स्वास्थ्य, गैर परम्परागत उर्जा, प्लास्टिक एवं रबर उद्योग, वस्त्र, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रावैधिकी उद्योग आदि के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

इस नीति के तहत दिनांक 18 फरवरी, 2021 तक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठकों में कुल 1,678 प्राप्त आवेदनों में से 1,369 इकाइयों को स्टेज–I क्लियरेंस तथा 364 इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से अबतक 278 इकाइयाँ कार्यरत हैं जिनमें निवेशित राशि ₹1,943.28 करोड़ है, जिससे लगभग कुल 7,632 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 18.02.2021 तक कुल ₹72.39 करोड़ तथा 01 सितम्बर, 2016 से अबतक कुल ₹187.25 करोड़ का भुगतान किया गया है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन :

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में वाणिज्य एवं उद्योग संघों से प्राप्त सुझावों के आलोक में एवं बिहार में लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं विशेष प्रोत्साहन पैकेज हेतु वर्त्तमान औद्योगिक नीति में जून, 2020 में संशोधन किया गया है।

विभिन्न उद्योग प्रक्षेत्रों को प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र में जोड़ा गया है, यथा– खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन एवं बॉटलिंग इकाइयाँ, लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि इनपुट विनिर्माण इकाइयाँ एवं गैर कृषि संयंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल गुड्स संबंधित निवेश के अवसर को जोड़ा गया है। इसी तरह काष्ठ आधारित उद्योग प्रक्षेत्र, सामान्य विनिर्माण उद्योग आदि प्रक्षेत्र में विभिन्न निवेश के अवसर को शामिल किया गया है।

इस नीति अंतर्गत आवेदन करने की पात्रता उन इकाइयों की होगी जो 25.00 लाख रूपये या इससे अधिक का निवेश करती हैं एवं 25 या इससे अधिक श्रमिकों/कामगारों को रोजगार प्रदान करती हैं। यह शर्तें राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत इकाइयों की स्थिति में लागू नहीं होगी। सभी प्रकार की अनुज्ञप्ति/क्लियरेंस जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने के लिए आवश्यक है, को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 6(4) एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 की नियमावली 9 के अनुसार डीम्ड क्लियरेंस दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

कोरोना संकट के कारण अन्य राज्यों से बिहार के कामगार जो वापस लौटे हैं उन्हें बिहार में ही रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति दी है।

जिला औद्योगिक नव प्रवर्त्तन योजना– इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला पदाधिकारी को नव प्रवर्त्तन के तहत सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित कराने के उद्देश्य से एक नव प्रवर्त्तन निधि उपलब्ध कराई गई है। इस निधि का उपयोग लघु

कार्य जैसे – सिलाई केन्द्र की स्थापना, पेभर ब्लॉक उपकरण, हस्तकरघा बुनाई केन्द्र, बढ़ईगिरी केन्द्र के लिए किया जा रहा है। सूक्ष्म इकाई की स्थापना कराने के समय उनके फॉरवर्ड एवं बैंकवार्ड लिंकेज को भी सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ये इकाई लम्बे समय तक कार्यरत रह सके। इस कार्य के लिए प्रत्येक जिलों को 50 लाख रूपये विमुक्त कर दिए गए है। कुल 206 समूहों को चिन्हित किया गया जिसमें कुल 3,441 कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है जिसके विरूद्ध कुल 135 समूहों में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो चुका है।

नवप्रवर्त्तन स्टार्टअप जोन, चनपटिया, पश्चिमी चम्पारण– चनपटिया में एक स्थान पर नवप्रवर्त्तन स्टार्टअप जोन हेतु भूमि उपलब्ध कराकर कई इकाइयों की स्थापना की गई एवं उनके लिए आवश्यक ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही स्थापित इकाइयों के लिए बैकवार्ड–फारवार्ड लिंकेज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। संभावित उद्यमियों के साथ समस्याओं के निराकरण हेतु Single Point of Contact की व्यवस्था की गई। संदर्भित चनपटिया मॉडल के आधार पर राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य के लोक उपक्रम (PSUs) द्वारा औद्योगिक कलस्टर विकास अंतर्गत राज्य के सभी लोक उपक्रमों (पी. एस.यू.) द्वारा कलस्टर आधारित विनिर्माण उद्यमों की स्थापना हेतु जिलों को गोद लिया गया है। विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति ने चयनित लोक उपक्रमों (पी.एस.यू.) को जिला आवंटित किया है। उद्यम के वैसे प्रक्षेत्र जिनके लिए कलस्टर स्थापित किये जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं: खाद्य प्रसंस्करण, परिधान निर्माण, फार्म मशीनरी, पेभर ब्लॉक/सिमेंट पोल (विद्युत), फर्नीचर निर्माण, हस्तकरघा, हस्तकला एवं चर्म आधारित उत्पाद। ये लोक उपक्रम इन कलस्टरों के आधारभूत संरचना हेतु अपने संसाधन से इन्हें वित्त पोषण कर रही है। लोक उपक्रम श्रमिकों के डाटा बेस के आधार पर शिल्पियों/कुशल श्रमिकों की पहचान कर कलस्टर का निर्माण कर रही है। लोक उपक्रमों द्वारा इन कलस्टरों के लिए बैकवार्ड एवं फॉरवार्ड लिंकेज की व्यवस्था तथा प्रबंधकीय सहायता कम से कम तीन वर्षों के लिए की जायेगी। इस योजनान्तर्गत कुल 76 कलस्टर/समूह को चिन्हित किया गया है जिसमें 2258 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध 18 कलस्टरों की स्थापना की जा चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017, अधिसूचना निर्गत की तिथि से पाँच वर्षों तक के लिए प्रभावी है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा प्रारम्भिक कॉरपस फंड के रूप में पाँच सौ करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे युवा उद्यमियों को प्रारंभिक कार्य–कलाप पर होने वाले व्यय, क्षेत्र भ्रमण, शोध, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता के रूप में प्रत्येक स्टार्ट–अप के तहत निरीक्षण एवं स्वअभिप्रमाण हेतु पाँच वर्षों के लिए छूट दी गई है। वित्तीय सहायता, इन्क्यूबेशन सेंटर, फन्डिंग, प्रचार–प्रसार, प्रमाणीकरण आदि इस नीति के मुख्य अंग हैं। स्टार्ट–अप के लिए राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों/औद्योगिक पार्क/एस.एम.ई. कलस्टर एवं हब में दस प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जायेगा।

इस योजनान्तर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से 1673 आवेदन को चयनित करते हुए इन्क्यूबेशन हेतु संस्थानों से संबद्ध किया गया है। बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा प्रमाणीकृत 140 स्टार्ट–अप में से 101 स्टार्ट–अप को कुल ₹655.00 लाख का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को उद्योग स्थापित करने में अभिरूचि पैदा करने एवं सुक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष स्व–रोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इस योजना का शत–प्रतिशत वित्त पोषण उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है।

यह योजना पूर्णरूपेण ऑन–लाईन हैं जिसकी वजह से उद्यमी घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस योजना में सूक्ष्म उद्योग प्रक्षेत्र के 101 से अधिक परियोजना को रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख

विशेष प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत अनुदान/सब्सिडी तथा 50.00 प्रतिशत अधिकतम ₹5.00 लाख ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई ₹25,000 की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत 84 समान मासिक किस्तों में ब्याज मुक्त ऋण की वसूली किये जाने का प्रावधान है।

इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 53,570 ऑन लाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4005 योग्य आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। इस योजना अंतर्गत स्वीकृत आवेदकों में से 3,723 लाभुकों को प्रशिक्षण के उपरांत प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त के रूप में कुल ₹279.33 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है।

राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण उनका उन्नयन इस वर्ग के युवा एवं युवतियों को बिना उद्यमी बनाये संभव नहीं हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प में संशोधन करते हुए इसमें अति पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अंतर्गत अबतक कुल 14,711 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1,594 आवेदनों का चयन किया गया है, जिनमें प्रशिक्षण उपरांत 773 लाभुकों को ₹24.11 करोड़ राशि वितरित किया गया है। शेष लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का चयन, प्रशिक्षण एवं शेष किस्तों के वितरण की प्रक्रिया जारी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनांतर्गत कुल 8 कलस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु तैयार डी.पी.आर. पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत अबतक 07 कलस्टरों यथा– राईस मिल कलस्टर–लखीसराय, मेनमेहसी सीप बटन कलस्टर–पूर्वी चम्पारण, बथना सीप बटन कलस्टर– पूर्वी चम्पारण, सिलाव खाजा कलस्टर–नालन्दा, कन्हैयागंज झूला कलस्टर–नालन्दा, काँसा–पीतल कलस्टर–वैशाली एवं काँसा–पीतल कलस्टर–पश्चिमी चम्पारण में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए ₹21.25 करोड़ मात्र की विमुक्ति की गई है। टेक्सटाइल अपैरल पार्क की स्थापना बिहटा–पटना तथा लेदर गुड्स कम्प्लेक्स की स्थापना मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित है। मखाना कलस्टर–सुपौल, सेनेटरी पैड कलस्टर, लोदीपुर, सबौर–भागलपुर, एल.ई.डी. बल्ब कलस्टर एवं स्टील फर्नीचर कलस्टर, पटना सिटी–पटना के DSR (Detailed Survey Report) पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

ई. रेडिएशन–सह–सामान्य सुविधा केन्द्र की समेकित ईकाई की स्थापना : फल–सब्जी के संरक्षण/भंडारण एवं निर्यात को ध्यान में रखते हुये ई. रेडिएशन–सह–पैक हाउस सामान्य सुलभ केन्द्र के रूप में परियोजना लागत ₹50.83 करोड़ पर विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया हैं, जिसे किसान अपने उत्पाद को लाकर संरक्षण/भंडारण एवं निर्यात करा सकेगें तथा बाजार में आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर बेच सकेगें। इसके लिए भूमि सिकंदरपुर, बिहटा, पटना में चिन्हित किया गया है एवं निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की स्थापना : राज्य सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया की परिकल्पना के तहत ग्रोथ सेंटर, बेगुसराय जिले में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है। पार्क की स्थापना कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना :

बिहार के हस्तशिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में मेला/प्रदर्शनी/समारोह का आयोजन किया जाता है। जिसमें राज्य के शिल्पियों को निःशुल्क स्टॉल आवंटित कर उनको लाभान्वित किया जाता है, साथ ही राज्य के उत्कृष्ट हस्तशिल्प के विरासत से रू–ब–रू कराया जाता है।

डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला : वर्त्तमान युग भूमंडलीकरण और बाजारवाद का है। इसमें वर्चस्व उसी को प्राप्त होता है जो सर्वाधिक प्रभावशाली हो। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना की ओर से राज्य के शिल्पियों को बाजार की मांग के अनुरूप नये–नये डिजाइन की ट्रेनिंग हेतु डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का आयोजन राज्य के 45 स्थलों पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH (Integrated Development Plan for Handloom) योजनान्तर्गत किया जा रहा है।

सामान्य सुविधा केन्द्र : भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के IDPH (Integrated Development Plan for Handloom) योजनान्तर्गत राज्य के पंद्रह स्थलों पर 15 करोड़ की लागत से हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पियों हेतु दस सामान्य सुविधा केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें शिल्पियों के उपयोग हेतु सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय वित्तीय वर्ष 2017–18 से एम.टी.एन.एल. बिल्डिंग, बान्द्रा कुर्ला कम्पलेक्स, मुम्बई में कार्यरत है। वर्त्तमान में यह कार्यालय बड़े निवेशों के लिए Promotion, Facilitation तथा After Care का कार्य कर रहा है। इसके अलावे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना का क्रियान्वयन निवेश आयुक्त कार्यालय, मुम्बई, उद्योग विभाग, बिहार द्वारा किया जा रहा है। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवर सचिव का एक पद सृजित किया गया है।

निवेश आयुक्त कार्यालय के प्रयास से बिहार में माह नवम्बर, 2020 तक कुल ₹914.00 करोड़ का On Ground पूंजी निवेश हुआ है, जिसमें कुल 2110 लोगों को सीधे नियोजन प्राप्त हुआ है।

बिहार फाउन्डेशन उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है। बिहार फाउन्डेशन के गठन की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य भावनात्मक रूप से राज्य के बाहर, देश–विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। बिहार फाउन्डेशन का वर्तमान स्वरूप वस्तुतः बिहारी डायस्पोरा और गृह राज्य बिहार के बीच एक संबंधसूत्र का है। बिहार फाउन्डेशन का मुख्य उद्देश्य Bonding, Branding & Business के रूप में चिन्हित किया गया है।

देश एवं विदेशों में बिहारी समुदाय के सहयोग एवं फाउन्डेशन के उद्देश्यों के प्रति एकजुटता की वजह से अबतक कुल 21 चैप्टर्स खुल चुके हैं जिनमें विदेशों में 12 चैप्टर्स यू.एस.ए., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.), सिंगापुर, न्यूजीलैंड तथा जापान में कार्यरत हैं तथा भारत के 9 शहरों मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, वाराणसी, नागपुर, सूरत, तथा गोवा में कार्यरत हैं।

कोरोना वाइरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु दिनांक 25 मार्च 2020 तक सम्पूर्ण भारत में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे गरीब बिहारी एवं दिहाड़ी मजदूरों को राज्य सरकार के आदेशानुसार, बिहार फाउन्डेशन द्वारा देश में अवस्थित कुल 9 चैप्टर्स यथा– मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, नागपुर, गुजरात, गोवा, वाराणसी सहित अन्य सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवकों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें भोजन/राशन तथा आवासन की सुविधा प्रदान की गई। इस चैप्टर्स के अतिरिक्त कर्नाटक बिहार फाउन्डेशन, बैंगलुरू, आम बिहारी कल्याण मंच, सिक्किम तथा दिल्ली अवस्थित कुल 13 केन्द्रों के माध्यम से भी वहाँ फंसे बिहारी मजदूरों/गरीब व्यक्तियों के लिए भोजन/राशन की व्यवस्था की गई। 37 दिन तक चले इस देशव्यापी सहायता कार्यक्रम में बिहार फाउन्डेशन द्वारा 42 राहत केन्द्रों में कार्यरत 600 से अधिक सक्रिय कार्यकर्त्ताओं की मदद से गरीब एवं लाचार बिहारियों को 12 लाख से अधिक बार भोजन प्रदान किया गया तथा तकरीबन 61 हजार लोगों को सूखा राशन दिया गया। इसके अतिरिक्त इनके आवासन हेतु महाराष्ट्र में 5 तथा तमिलनाडु में 1 आश्रय घर भी स्थापित किये गये जिनकी कुल क्षमता तकरीबन 6 हजार की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बियाडा अंतर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनके अधीन कुल 68 औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र एवं मेगा औद्योगिक पार्क अवस्थित है। वर्ष 2020–21 में उद्योग की स्थापना हेतु अबतक कुल 34 इकाइयों के बीच 16.89 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस आवंटन में कुल 239.08 करोड़ रूपये का निवेश होगा एवं कुल 3,150 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्त्तमान समय में बियाडा में कुल 2,600 औद्योगिक इकाइयाँ है, जिनमें से 1,693 इकाइयाँ कार्यरत है।

बियाडा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्रोथ सेन्टर, बेगुसराय, सिकंदरपुर (बिहटा), नावानगर, रामनगर, पंडौल, दोनार दरभंगा, धरमपुर, पंडौल, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, डेहरी ऑन–सोन, औरंगाबाद, लेदर कलस्टर मुजफ्फरपुर, उद्योग भवन के चारों ओर चहारदीवारी, आवासीय फैक्ट्री कॉम्पलेक्स पाटलीपुत्रा, बक्सर, सुपौल, कुमारबाग, इत्यादि में पी.सी.सी. सड़क चहारदीवारी निर्माण के तहत राशि 9186.00 लाख रूपये मात्र से आधारभूत संरचना विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। गन्ना उद्योग विभाग के अधिसूचना दिनांक 16.06.2020 द्वारा बिहार राज्य चीनी निगम की 2442.41 एकड़ भूमि राज्य के Priority Sector उद्योगों के स्थापना हेतु बियाडा को हस्तांतरित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष लक्ष्य अनुसार युवकों/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन (बी.एस.डी.एम.) के गाईडलाईन के अनुसार उनके अनुमोदित प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होता है। उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण संचालित कराया जाता है। प्रशिक्षण आवासीय/गैर–आवासीय है। प्रशिक्षण के पश्चात् लगभग 70–80 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित कराया जाता है। अबतक लगभग 2,600 युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोविड–19 महामारी के कारण पूर्व के सभी बैच जो स्थगित थे पुनः जनवरी, 2021 से प्रारंभ हुए हैं जिसमें 1,068 युवक/युवतियों का प्रशिक्षण चल रहा है।

प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य के भौतिक लक्ष्य 2822 एवं वित्तीय लक्ष्य (मार्जिन मनी) ₹84,66.00 लाख के विरूद्ध अबतक 18,098 आवेदन–पत्र ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखाओं में भेजा गया है। बैंक द्वारा स्वीकृत 1,063 आवेदकों के बीच ₹3,599.39 लाख मार्जिन मनी (अनुदान) के रूप में भुगतान किया गया है।

सिपेट औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर में गर्ल्स हॉस्टल निर्माण हेतु पूर्व में 572.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण लेने में सुविधा हो सके। वित्तीय वर्ष 2020–21 में सिपेट के ब्याज हॉस्टल एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (VTC) की स्थापना हेतु रूपये 6–6 करोड़ राशि की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हस्तकरघा प्रक्षेत्र :

हस्तकरघा बुनकरों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना–हस्तकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने तथा बाजार माँग के अनुरूप उनके द्वारा सूत क्रय कर वस्त्र का निर्माण करने हेतु उन्हें दिया जाता है। इसका लाभ पात्र पाटी लूमधारक कम्बल बुनकरों को भी मिलता है तथा राशि सीधे लाभुक हस्तकरघा बुनकरों के बैंक खाते में दी जाती है। यू.आई.डी. उत्कीर्ण लूम धारकों को ₹10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जाता है। अब तक योजनान्तर्गत 5,610 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत ₹71.25 लाख स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

विद्युतकरघा प्रक्षेत्र :

विद्युत करघा बुनकरों को विद्युत अनुदान: यह योजना दिनांक–01.02.2014 के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में समान रूप से लागू है। जिसके अन्तर्गत विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर ₹3.00 प्रति यूनिट अनुदान पात्र विद्युतकरघा बुनकरों के विद्युत विपत्र में दिया जाता है। जिसकी प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुदान राशि सीधे बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि., पटना को उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत 11,318 विद्युतकरघा इकाइयों को अनुदान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इस योजनान्तर्गत ₹500.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

रेशम प्रक्षेत्र:

तसर विकास परियोजना अंतर्गत बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमूई आदि जिलों में तसर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में 5434 परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। वर्ष 2019–20 में राज्य में 45.51 मि.टन तसर रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ।

मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना (2012–17) के तहत 3,416 हेक्टेयर निजी भूखंड एवं 6,120 हेक्टेयर वन भूमि पर तसर पौधे लगाये गये हैं। तसर सूत उत्पादन के लिए बांका में 6 CFC स्थापित किया गया है। अग्र परियोजना केन्द्र, इनारवरण कटोरिया, बांका एवं श्यामबाजार, बांका में 1–1 प्रशासनिक भवन एवं 5–5 बीजागार भवन, 1–1 ककून बैंक भी स्थापित किया गया है। बांका जिला में कुल 12 बीजागार भवन का निर्माण किया गया है। वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये 2,860 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त 266 व्यक्तियों को तसर कीटपालन प्रशिक्षण दिया गया।

मलवरी विकास परियोजना अंतर्गत वर्त्तमान में सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं मधेपुरा जिलों के कुल 4,667 व्यक्तियों द्वारा 233.50 एकड़ निजी भूखण्ड में मलवरी वृक्षारोपण कराया गया। कीटपालकों के 465 (5 व्यक्तियों का समूह) समूह को सिंचाई हेतु पम्पसेट की आपूर्ति की गई। 2,972 कीटपालकों को कीटपालन उपस्कर उपलब्ध कराया गया। कीटपालन गृह बनाने वाले किसानों की संख्या 963 है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कोकून का– 24.69 मि.टन एवं 2.47 मि.टन कच्चा रेशम का उत्पादन हुआ।

अंडी रेशम विकास कार्यक्रम अंतर्गत अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) के तहत बेगुसराय जिले में कुल 226 लाभुकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। अंडी रेशम फॉर्म, बेगुसराय में केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत फार्म में प्रशासनिक/आवासीय भवन का निर्माण एवं बीजागार भवन की मरम्मति हेतु ₹147.664 लाख की लागत पर आयडा द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कोकून उत्पादन– 10.18 मि.टन एवं कच्चा रेशम– 8.15 मि.टन का उत्पादन हुआ।

हस्तकरघा एवं रेशम भवन रेशम नगरी, भागलपुर में ₹1,364.00 लाख की लागत से हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस भवन में भागलपुर स्थित सभी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के हस्तकरघा एवं रेशम से जुड़े कार्यालय आवासित होंगे। उक्त भवन में रेशम उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी की व्यवस्था होगी।

हैण्डलूम हाट का निर्माण: बिहार के औद्योगिक पुनर्निर्माण में हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा प्रक्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र एवं हुनर पर आधारित कुटीर एवं लघु उद्योग है, जिसमें रोजगार सृजन की विपुल संभावनायें है। यह क्षेत्र ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। राज्य के बुनकरों हेतु पटना में हैण्डलूम हाट की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसलिए फ्रेजर रोड स्थित बिहार राज्य वित्तीय निगम के भवन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल में हैण्डलूम हाट का निर्माण कराने की कार्रवाई की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

खादी ग्रामोद्योग :

खादी प्रक्षेत्र को बढ़ावा देकर ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के गरीब तबकों को उनके दरवाजे पर रोजगार मुहैया कराकर समतामूलक समाज की कल्पना को साकार किया जा सकता है। इसलिए बिहार में बापू के ग्राम स्वराज्य की कल्पना को आगे बढ़ाने के लिए खादी पुर्नरूद्धार योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों और कतिनों को प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित किये जा रहे हैं। बिहार खादी का ब्रान्ड विकसित किया गया है और खादी में नए–नए डिजाइन तैयार कर उसकी बिक्री प्रारंभ की गई है। इसके लिए देश के सबसे बड़े खादी मॉल का निर्माण पटना के पूर्वी गाँधी मैदान में किया गया है।

खादी की 15 संस्था/समितियों को 270 नग कटिया चरखा इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 04 संस्था/समितियों को कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा 29 संस्था को कार्यशील पूँजी देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, ताकि खादी वस्त्रों के उत्पादन के गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।

बिहार के 41 खादी संस्था/समितियों को लैपटॉप एवं टैली सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करने हेतु बोर्ड द्वारा नियुक्त परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिससे खादी संस्था को सहजतापूर्वक लेखा का कार्य करने तथा अपना प्रगति प्रतिवेदन भेजने में आसानी हो रही है।

परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी द्वारा नियुक्त डिजाइनर द्वारा बाजार में प्रचलित 17 आधुनिक डिजाइन को विकसित किया गया है, जिसे खादी संस्थाओं को सुपुर्द कर दिया गया है तथा जिसपर खादी संस्थाओं द्वारा कार्य भी किया जा रहा है।

परियोजना अनुश्रवण ऐजेंसी के सहयोग से खादी बोर्ड द्वारा संचालित खादी मॉल में Inventory Management System (IMS) लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त खादी संस्थाओं में भी इसे लागू करने का कार्य किया जा रहा है।

अब मैं वित्तीय वर्ष 2021–22 की भावी योजनाओं/कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूप–रेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ:

- ❖ राज्य में उद्यमिता विकास की दिशा में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बिहार, सात निश्चय पार्ट–2 के तहत अन्य वर्ग के युवा एवं महिला उद्यमियों को जोड़ते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल ₹200.00 करोड़ एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का कुल ₹200.00 करोड़ का उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्रस्तावित है।
- ❖ बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद में प्रावधानित एस.आई.पी.बी. सचिवालय को और अधिक सशक्त एवं प्रभावकारी बनाने के लिए वैसे सभी विभागों के प्रतिनिधि को जिनसे उद्यमियों/निवेशकों को विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, एस.आई.पी.बी. सचिवालय में पूर्णकालिक रूप से प्रतिनियुक्त किया जायेगा ताकि सभी संबंधित विभागों से बहुत कम समय में निवेश के प्रस्ताव पर क्लियरेंस प्राप्त हो सके।
- ❖ नये उद्योगों की स्थापना एवं कार्यान्वयन के लिए सिंगल विन्डो क्लियरेंस सिस्टम को और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु वैसे सभी विभागों के सॉफ्टवेयर से इन्टीग्रेट किया जायेगा, जिनसे उद्यमियों/निवेशकों को विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है ताकि निवेशक को बाधा रहित सेवा प्राप्त हो सके।
- ❖ प्रक्षेत्रवार नीतियों का निर्माण कर राज्य में निवेश के सम्भावनाओं को बल देने के लिए इथनॉल, लॉजिस्टिक, प्लास्टिक एवं रबर, कपड़ा एवं परिधान, ट्वाय एवं निर्यात नीति इत्यादि पर कार्य किया जा रहा है।

- ❖ बियाडा की भूमि आवंटन एवं भू–हस्तांतरण की प्रक्रिया में नीतिगत सुधार करते हुए इसे सरल, सुलभ एवं पारदर्शी बनाया जायेगा साथ ही सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग प्रक्षेत्र के इकाइयों को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में इनके लिए ज्यादा भूमि आरक्षित की जायेगी।
- ❖ बियाडा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत Common Effluent Treatment Plant (CETP) निर्माण एवं संचालन, कार्यालय भवन, वाटर सप्लाई, हरित पट्टी, विभिन्न तरह के माईक्रो यूनिट के लिए कलस्टर डेवलपमेंट के तहत आवासीय फैक्ट्री कॉम्पलेक्स इत्यादि का निर्माण किया जाना है।
- ❖ औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास Industrial Park Rating System 2.0 के मापदंडों के अनुरूप किया जायेगा।
- ❖ राज्य में प्रक्षेत्रवार Industrial Park यथा– प्लास्टिक, लेदर, फार्मास्युटिकल, ट्वाय एवं इलेक्ट्रॉनिक पार्क आदि विकसित किया जायेगा।
- ❖ अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कोरिडोर (AKIC) के तहत राज्य के गया जिले में दस वर्ग कि.मी. के क्षेत्रफल में इण्टीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है।
- ❖ भागलपुर एवं बांका जिले में शत–प्रतिशत थाई रीलिंग उन्मूलन के लिए जीविका से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सूची प्राप्त होते ही केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सामंजस्य स्थापित करते हुए थाई रीलरों को आधुनिक बुनियाद रीलिंग मशीन उपलब्ध कराया जायेगा।
- ❖ वर्ष 2021–22 में रेशम प्रक्षेत्र में संचालित केन्द्रों/भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु ₹400.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।
- ❖ मधुबनी, बांका एवं भागलपुर में खादी के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र (C.F.C) का निर्माण प्रस्तावित है।
- ❖ राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालय एवं बड़े शहरों में खादी मॉल एवं शो–रूम खोले जाने का प्रस्ताव है।
- ❖ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत विभिन्न विभागों द्वारा व्यवसायिक लाईसेंसों/पंजीकरण इत्यादि का नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त या सहज किया जा रहा है। साथ ही सभी व्यवसायिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की जा रही है एवं प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जा रहा है।
- ❖ उद्योग मित्र में संस्थागत सुदृढ़ीकरण करते हुए प्रक्षेत्रवार विशेषज्ञों की नियुक्ति नॉलेज पार्टनर के रूप में की जायेगी ताकि प्रक्षेत्रवार नीति विश्लेषण एवं उद्यमियों/निवेशकों को उनके उद्यम/निवेश से संबंधित सलाह/मार्गदर्शन मिल सके।
- ❖ ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत व्यवसायिक सेवाओं के अतिरिक्त सामान्य नागरिकों के जन–जीवन में काम आनेवाले अन्य सरकारी सेवाओं को सामान्य नागरिक तक सुगमता से पहुँचाने हेतु उद्योग विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए Regulatory Compliance Burden को आसान कर ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

बजट माँग संख्या–23

वित्तीय वर्ष 2020–21 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में ₹810.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में ₹105.8496 करोड़ अर्थात कुल मूल प्राक्कलन ₹915.8496 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्कीम मद में ₹1,190.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में ₹95.1716 करोड़ अर्थात कुल प्राक्कलन ₹1,285.1716 करोड़ (एक हजार दो सौ पचासी करोड़ सतरह लाख सोलह हजार रूपये) की अनुदान मांग का प्रस्ताव सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद!

बिहार सरकार

उद्योग विभाग